



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20062026-273664  
CG-DL-W-20062026-273664

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 20—जून 26, 2026 (ज्येष्ठ 30, 1948)  
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 20—JUNE 26, 2026 (JYAISTHA 30, 1948)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 मई 2026

सं. एलएफईएस-पीएस50011/1/2026/22-कार्मिक अनुभाग-आरएसएस—राज्य सभा के महासचिव अधिसूचना सं. आरएस/18/15/2014/06-कार्मिक, दिनांक 27 जनवरी, 2023 के अधिक्रमण में और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार, 6 मई, 2026 से “आंतरिक समिति” का पुनर्गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं :—

- |                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1. डा. (श्रीमती) सुभश्री पाणिग्रही, संयुक्त सचिव | - पीठासीन अधिकारी |
| 2. श्री जयन्त कुमार मलिक, निदेशक                 | - सदस्य-सचिव      |
| 3. सुश्री चित्रा गौरी, निदेशक                    | - सदस्य           |
| 4. श्रीमती अनुजा पेथिया, अधिवक्ता                | - सदस्य           |

2. समिति का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि अर्थात् 5 मई, 2027 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगा।

3. समिति राज्य सभा सचिवालय में महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने, लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए जिम्मेदार होगी।

4. समिति महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा उक्त अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए अथवा राज्य सभा सचिवालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। उक्त अधिनियम तथा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) नियम, 2013 के अनुसार समिति द्वारा कतिपय अनुपालन किए जाना भी अपेक्षित है। उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के अनुरूप आंतरिक समिति का अधिदेश तथा कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां इस अधिसूचना के साथ संलग्न हैं।

श्रीजा वी., निदेशक

अनुलग्नक

#### आंतरिक समिति (आई.सी.) का अधिदेश तथा प्रमुख जिम्मेदारियां

(i) शिकायतें प्राप्त करना: आई.सी. कर्मचारियों से लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतें प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगी। शिकायत प्राप्त होने पर, समिति व्यथित महिला से प्राप्त शिकायत की प्रतियों में से एक प्रति सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्रतिवादी को भेजेगी। [नियम 7(2)]

(ii) सुलह रिपोर्ट: समझौते की स्थिति में आई.सी. प्रतिवेदन अभिलिखित करेगी तथा उसे नियोक्ता को अग्रेषित करेगी। प्रतिवेदन की प्रतियां दोनों पक्षों को भी उपलब्ध कराई जाएंगी। [धारा 10(2) एवं (3)]

(iii) जांच प्रक्रिया: प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष तथा समयबद्ध जांच करना, जो 90 दिनों की अवधि के भीतर पूर्ण की जाएगी। [धारा 11(4)]

(iv) सिफारिशें: उचित कार्रवाई के लिए जांच के निष्कर्ष तथा सिफारिशें (अंतरिम उपायों सहित) नियोक्ता को प्रस्तुत करना। [धारा 12]

(v) जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना: जांच पूर्ण होने पर आई.सी. अपने निष्कर्षों का प्रतिवेदन जांच पूर्ण होने की तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर नियोक्ता को प्रस्तुत करेगी। [धारा 13(1)]

(vi) गोपनीयता: सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान कड़ी गोपनीयता बनाए रखना। [धारा 16 एवं 17]

(vii) वार्षिक प्रतिवेदन: नियम 14 के अधीन विहित रीति से वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में उसे नियोक्ता को प्रस्तुत करना। [धारा 21]

सं. आरएस.6/(2)/2020/23-कार्मिक—श्री नगेन्द्र कुमार सिंह, अपर सचिव (सेवानिवृत्त) को राज्य सभा के माननीय उप-सभापति के वैयक्तिक स्टाफ में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-14 (पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-4 रु. 37400-67000 + ग्रेड वेतन रु. 10000 के संगत) में सचिव के रूप में, उनके वैयक्तिक स्टाफ में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 में संयुक्त निदेशक (पीएसएसएस) के पद (पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-3 रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 7600 के संगत) का उन्नयन एवं पुनःपदनामित करके तथा उनके वैयक्तिक स्टाफ में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 में वरिष्ठ निजी सचिव के एक रिक्त सावधिक पद (पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-3 रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 6600 के संगत) को स्थगन में रखकर उससे होने वाली समतुल्य बचत का उपयोग करते हुए, 17 अप्रैल, 2026 के पूर्वाह्न से सह-पदावसान आधार पर तथा अगले आदेशों तक नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ निजी सचिव का उपर्युक्त पद सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति की समाप्ति पर पुनः प्रचालन में आ जाएगा।

2. वेतनमान का यह उन्नयन राज्य सभा के माननीय उप-सभापति के वैयक्तिक स्टाफ में सचिव के रूप में श्री नगेन्द्र कुमार सिंह की नियुक्ति की अवधि तक उनके लिए वैयक्तिक होगा, जिसके उपरांत सचिव का उन्नयन पद उनके वैयक्तिक स्टाफ में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 में संयुक्त निदेशक (पीएसएसएस) के मूल सावधिक पद (पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-3 रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 7600 के संगत) में पुनर्वर्तित हो जाएगा।

3. श्री नगेन्द्र कुमार सिंह की नियुक्ति राज्य सभा के वर्तमान माननीय उप-सभापति के विवेकाधीन है तथा उनके पदावधि के साथ सह-पदावसान आधार पर होगी।

श्रीजा वी., निदेशक

सं. आर.एस.6/(2)/2020/24-कार्मिक—श्री निराला कुमार तिवारी को राज्य सभा के माननीय उप-सभापति के वैयक्तिक स्टाफ में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 (पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-3 रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 6600 के संगत) में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में, 17 अप्रैल, 2026 के पूर्वाह्न से सह-पदावसान आधार पर तथा अगले आदेशों तक नियुक्त किया गया है।

2. श्री निराला कुमार तिवारी की नियुक्ति राज्य सभा के वर्तमान माननीय उप-सभापति के विवेकाधीन है तथा उनके पदावधि के साथ सह-पदावसान आधार पर होगी।

श्रीजा वी., निदेशक

सं. आर.एस.6/(2)/2020/25-कार्मिक—श्री प्रेम नारायण सिंह को 17 अप्रैल, 2026 के पूर्वाह्न से सह-पदावसान आधार पर और अगले आदेशों तक राज्य सभा के माननीय उपसभापति के वैयक्तिक स्टाफ में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 में (पूर्व-संशोधित 15600-39100 रुपये के वेतन बैंड-3 + 6600 रुपये के ग्रेड वेतन के अनुरूप) वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. श्री प्रेम नारायण सिंह की नियुक्ति राज्य सभा के वर्तमान माननीय उपसभापति के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

श्रीजा वी., निदेशक

दिनांक 11 मई 2026

सं. आर.एस.6/(2)/2020/26-कार्मिक—श्री दीपक कुमार ओझा को 17 अप्रैल, 2026 के पूर्वाह्न से सह-पदावसान आधार पर और अगले आदेशों तक राज्य सभा के माननीय उप सभापति के वैयक्तिक स्टाफ में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 में (पूर्व-संशोधित 15600-39100 रुपये के वेतन बैंड-3 + 6600 रुपये के ग्रेड वेतन के अनुरूप) वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. श्री दीपक कुमार ओझा की नियुक्ति राज्य सभा के वर्तमान माननीय उप सभापति के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

श्रीजा वी., निदेशक

दिनांक 27 मई 2026

सं. एलएफईएस-पीएस16014/2/2025/28-कार्मिक अनु.-आरएसएस—राज्य सभा की याचिका समिति के पूर्व अध्यक्ष (श्री नारायण दास गुप्ता) के वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त श्री नीरज कुमार की सेवाएं राज्य सभा की याचिका समिति के पुनर्गठन की तिथि अर्थात् 20.05.2026 से उन्हें 15 दिनों की समापन समयावधि प्रदान करने के उपरांत 03.06.2026 से समाप्त मानी जाएंगी।

श्रीजा वी., निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 जून 2026

सं. एलएफईएस-पीएस16014/2/2025/33-कार्मिक अनु.-रा.स.सचि.—श्री इंदुगुपल्ली नागा शिव शंकर को 26 मई, 2026 के पूर्वाह्न से सह-पदावसान आधार पर और आगामी आदेशों तक आवास समिति के अध्यक्ष (डा. के. लक्ष्मण) के वैयक्तिक स्टाफ में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. श्री इंदुगुपल्ली नागा शिव शंकर की नियुक्ति आवास समिति के वर्तमान अध्यक्ष (डा. के. लक्ष्मण) के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

चित्रा गौरी, निदेशक

दिनांक 8 जून 2026

सं. एलएफईएस-पीएस16014/2/2025/34-कार्मिक अनु.-आरएसएस—श्री सोनू प्रसाद को विभाग-संबंधित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्ष (डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी) के निजी स्टाफ में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में 2 जून, 2026 के पूर्वाह्न से सह-पदावसान आधार पर तथा अगले आदेशों तक नियुक्त किया गया है।

2. श्री सोनू प्रसाद की नियुक्ति विभाग-संबंधित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति की वर्तमान अध्यक्ष (डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी) के विवकाधीन है और यह उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

चित्रा गौरी, निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 मई 2026

सं. एलएफईएस-पीएस 25011(11)/1/2026/27-कार्मिक अनुभाग-आरएसएस—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (2) के निबंधनों के अंतर्गत, सक्षम प्राधिकारी ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत श्री प्रीतम कुमार, उप सचिव को दिनांक 14.05.2026 से और अगले आदेशों तक सचिवालय में केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया है।

2. अधिसूचना संख्या एलएफईएस-पीएस25011(12)/1/2024/2-कार्मिक अनुभाग-आरएसएस दिनांक 3 जनवरी, 2025 को अधिक्रमित किया जाता है।

ओइन्द्रिला राय, उप सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जून 2026

सं. एलएफईएस-पीएस 30/1/2026/29- कार्मिक अनुभाग आरएसएस—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री धर्म बीर शर्मा, अपर निदेशक (सुरक्षा) (कर्मचारी आईडी: 1797), 31 मई, 2026 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

रविंद्र कुमार, उप सचिव

सं. एलएफईएस-पीएस 30/1/2026/30- कार्मिक अनुभाग आरएसएस—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री शाजी ऑगस्टिन, अपर निदेशक(सुरक्षा) (कर्मचारी आईडी: 1798), 31 मई, 2026 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

रविंद्र कुमार, उप सचिव

सं. एलएफईएस-पीएस 30/1/2026/31-कार्मिक अनुभाग आरएसएस—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती श्रीजा वटक्किल्लित, निदेशक (कर्मचारी आईडी: 2022), 31 मई, 2026 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गई हैं।

रविंद्र कुमार, उप सचिव

सं. एलएफईएस-पीएस 30/1/2026/32-कार्मिक अनुभाग आरएसएस—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री बासुदेव चक्रवर्ती, उप सचिव (कर्मचारी आईडी: 2118), 31 मई, 2026 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

रविंद्र कुमार, उप सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय  
(सेवा तीर्थ)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 2026

सं. ए-43014/02/2022-प्रशा.-I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.06.2026 के आदेश सं. 4/6/2025-सीएस.-I(डी) के माध्यम से वर्ष 2025 हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) चयन सूची (एसजीएसएल) में उन्हें शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, इस सचिवालय के श्री सौमित्र सहार (सीएसएल सं. 8624) को दिनांक 01.06.2026 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर उप सचिव के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है।

2. एसजीएसएल 2025 में अधिकारी का समावेशन जरनैल सिंह तथा अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता तथा अन्य शीर्षक की 2011 की एसएलपी (सी) सं. 30621 से उद्भूत 2022 की सिविल अपील सं. 629 तथा अन्य संबद्ध मामलों में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के अगले आदेशों के अध्यक्षीन होगा।

जितेंद्र कुमार जांगिड़, अवर सचिव

दिनांक 4 जून 2026

सं. ए-19012/01/2026-प्रशा.-I—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.05.2026 के पत्र सं. 33/08/2026-ईओ (एसएम-I) के अनुसरण में, सुश्री दीपा चावला, आईआरएस (1998) को मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत सचिव (सुरक्षा) के कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर दिनांक 01.06.2026 (पूर्वाह्न) से 28.12.2028 तक कुल पांच वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करती हैं।

जितेंद्र कुमार जांगिड़, अवर सचिव

दिनांक 5 जून 2026

सं. ए-19011/02/2026-प्रशा.-I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.05.2026 के पत्र सं. 36/01/2026-ईओ(एसएम-I) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री राजीव सिंह, भा.पु.से.(टीआर:1993) को दिनांक 05.06.2026 के पूर्वाह्न से मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (सुरक्षा) के रूप में नियुक्त करती हैं।

जितेंद्र कुमार जांगिड़, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय  
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2026

सं. ए-12025/2/2025-प्रशासन.-I—राष्ट्रपति, विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित सहायक विधायी परामर्शियों (भारतीय विधिक सेवा का ग्रेड IV) को वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (रु. 78800-209200/-) में दिनांक 04 जून, 2026 के अपराह्न से और अगले आदेश तक नियमित आधार पर विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधिक सेवा का ग्रेड III) के पद पर नियुक्त करते हैं:—

- (i) श्री संजय कुमार गौतम
- (ii) श्री अतुल कुमार सिंह
- (iii) श्री संजय कुमार मीणा
- (iv) श्री दीपक बागसिंग
- (v) श्री गंगेश कुमार

2. उपर्युक्त अधिकारी इस विभाग में उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधिक सेवा का ग्रेड III) के पद पर उनकी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परीवीक्षा पर रहेंगे।

टी.एस.मुरलीधरन, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

## न्याय विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 1 जनवरी 2026

सं. के-13028/06/2025-यू एस-II/II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संगम कुमार साहू को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

जगन्नाथ श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

सं. के-13034/04/2025-यू एस-II/II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमती रेवती प्रशांत मोहिते डेरे, को मेघालय उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण के पश्चात उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उस उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

जगन्नाथ श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

दिनांक 2 जनवरी 2026

सं. के-13022/03/2025-यू एस-II/II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री महेश शरदचंद्र सोनक को, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की दिनांक 08.01.2026 को सेवानिवृत्ति के पश्चात, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

जगन्नाथ श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

सं. के-13029/03/2025-यू एस-I—भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, (i) श्री रमेश चन्द्र डिमरी, और (ii) सुश्री नीरजा कुलवंत कलसन को, उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

जगन्नाथ श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

दिनांक 3 जनवरी 2026

सं. के-13031/01/2025-यू एस-II/II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मुहम्मद मुस्ताक आयुमान्दाकत को, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

जगन्नाथ श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

दिनांक 5 जनवरी 2026

सं. के-13012/01/2025-यू एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, श्री जय कृष्ण उपाध्याय, को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

जगन्नाथ श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

सं. के-13028/02/2024-यू एस-II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति सर्व श्री (i) रितेश कुमार, और (ii) प्रवीण कुमार को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

जगन्नाथ श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

सं. के-13032/01/2023-यू एस-II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, श्री सिद्धार्थ साहू, को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

जगन्नाथ श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

दिनांक 8 जनवरी 2026

सं. के-13032/01/2025-यू एस-I/II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता को, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र की दिनांक 09.01.2026 की सेवानिवृत्ति के पश्चात, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

जगन्नाथ श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

दिनांक 14 जनवरी 2026

सं. के-13015/01/2026-यू एस-I/II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सुजोय पॉल को, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

जगन्नाथ श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

दिनांक 10 फरवरी 2026

सं. के-13013/02/2025-यू एस-I—भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, श्री बालाजी मेडमल्लि एलियास एम. बालाजि को, उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

जगन्नाथ श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

दिनांक 2 मार्च 2026

सं. के-13024/03/2025-यू एस-II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति केरल उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश सर्व/श्री मुल्लपल्लि अब्दुल अजीज अब्दुल हकीम, (ii) श्याम कुमार वड्डे मुडवक्काट, (iii) हरि शंकर विजयन मेनोन, (iv) मनु श्रीधरन नायर, (v) ईश्वरन सुब्रमणि, (vi) मनोज पुलाम्बी माधवन और (vii) श्रीमती मरक्कापरंबिल भार्गवन स्नेहलता, को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

जगन्नाथ श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

दिनांक 5 मार्च 2026

सं. के-13026/02/2026-यू एस-II —राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी, को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

जगन्नाथ श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

दिनांक 6 मार्च 2026

सं. के-11017/01/20256-यू एस-I/II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमती लिजा गिल को, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करते हैं और उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

जगन्नाथ श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 जून 2026

सं. 23012/01/2024-अ.भा.से.-III—श्रीमति पूजा यादव, आई.ए.एस. (यू.पी.: 2019) को उनका नाम “पूजा यादव” से “पूजा अग्रवाल” में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार उनको सभी शासकीय उद्देश्यों के लिए “पूजा अग्रवाल” के रूप में जाना जाएगा।

कविता चौहान, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2026

सं. के-43022/124/2026-एसईजेड (प्रशासन)—राष्ट्रपति, श्री गोपाल मीना, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बीएच:2007), को वाणिज्य विभाग के अंतर्गत नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा में विकास आयुक्त (संयुक्त सचिव स्तर) के रूप में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर -14 (रुपये.1,44,200-2,18,200) पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर 05 (पाँच) वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 25.05.2026 (पूर्वाह्न) से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

प्रतीक बाजपेयी, अवर सचिव

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 2026

सं. एस एम/01/06/2020—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से एवं अगले आदेश तक भारतीय सर्वेक्षण विभाग में प्रबंधक, मानचित्र पुनरुत्पादन (कनिष्ठ) (ग्रुप 'ए') के पद पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम    | नियुक्ति की तिथि       |
|----------|-------------------|------------------------|
| 1.       | श्री विवेक गुप्ता | 02-01-2026 (अपराह्न)   |
| 2.       | श्री डी. रमेश     | 01-01-2026 (पूर्वाह्न) |

प्रीति अरोड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110016, दिनांक 27 अप्रैल 2026

सं. ए-38013/01/2025-स्थापना.I (ई-52467)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के उपरांत, राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को दिनांक 30 अप्रैल 2026 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं :

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम                  | संवर्ग                         | पदनाम          |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1.       | श्री एन.ई.वी.एन. चंद्र शेखर राव | केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) | अनुभाग अधिकारी |

निवेश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 18 मई 2026

सं. A-12011/03/2025-स्थापना। [E-52438]—कैबिनेट सचिवालय की दिनांक 24 अप्रैल 2026 की अधिसूचना संख्या 511/1/1/2024-मंत्री. के तहत, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप, प्रो. अभय करंदीकर (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान – बॉम्बे), सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 18 मई 2026 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से कार्यमुक्त किया जाता है।

निवेश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 19 मई 2026

सं. A-12011/03/2025-स्था. I [E-52438]—मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के सचिवालय के दिनांक 15.05.2026 के पत्र संख्या 36/01/2026-ईओ(एसएम-1) के अनुसरण में, डॉ. राजेश एस. गोखले, सचिव, बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने दिनांक 18.05.2026 (पूर्वाह्न) से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण कर लिया है।

2. उन्हें नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

निवेश कुमार, अवर सचिव

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 2026

सं. ए-19012/6/2026-ई.एंड.एस.(स्था.)। राष्ट्रपति, भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सदस्य (अंशकालिक) तथा इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुंबई के प्रोफेसर प्रो. ए. गणेश कुमार को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) के अध्यक्ष पद पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-17 में प्रतिनियुक्ति के आधार पर, दिनांक 18 मई, 2026 के पूर्वाह्न से, पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भर्ती नियमों में आयु मानदंड में शिथिलता प्रदान करते हुए नियुक्त करते हैं।

अजीत कुमार, अवर सचिव

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय  
(पशुपालन और डेयरी विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 जून 2026

सं. C.12034/3/2020-Estt.(Hqrs.)/(ई-16457)—राष्ट्रपति, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के निम्नलिखित पशुचिकित्सा अधिकारियों को प्रगतिशील सुनिश्चित वृत्ती उन्नयन (डीएसीपी) स्कीम के अंतर्गत, नीचे दी गई तालिका में उनके नाम के समक्ष उल्लिखित ग्रेड/स्तर में, दर्शाई गई तिथि से पदोन्नति प्रदान करती हैं: —

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम (डॉ.) | डीएसीपी के अंतर्गत पदोन्नत ग्रेड/स्तर | पदोन्नति की तिथि |
|---------|----------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1.      | अरुण प्रसाद          | उप आयुक्त                             | 14.07.2008       |
|         |                      | संयुक्त आयुक्त                        | 14.07.2012       |
| 2.      | वेंकटेशन जी.         | उप आयुक्त                             | 20.03.2026       |
| 3.      | अधिराज मिश्रा        | उप आयुक्त                             | 12.04.2026       |
| 4.      | सुशील कुमार सिंह     | सहायक आयुक्त                          | 05.04.2026       |
| 5.      | आस्था पंत            | सहायक आयुक्त                          | 29.04.2026       |

पंकज कुमार सिन्हा, अवर सचिव

## सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2026

सं. 11021/01/2020-एससीडी-IV—राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम संघ (एनएसएफडीसी) के अनुच्छेद 55(2) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्री विशाल शर्मा, डीजीएम, नाबार्ड को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक एनएसएफडीसी के निदेशक मंडल में आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया जाता है।

रहीस एम., निदेशक

सं. 11021/01/2020-एससीडी-IV—राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम संघ (एनएसएफडीसी) के अनुच्छेद 55(2) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्री के एस कंडासामी, आईएएस, एमडी, टीएचडीसीओ, तमिलनाडु को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक एनएसएफडीसी के निदेशक मंडल में आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया जाता है।

रहीस एम., निदेशक

सं. 11021/01/2020-एससीडी-IV—राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम संघ (एनएसएफडीसी) के अनुच्छेद 55(2) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्री एम एम नायक, आईएएस, एमडी, एपीएससीसीएफसी, आंध्र प्रदेश को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक एनएसएफडीसी के निदेशक मंडल में आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया जाता है।

रहीस एम., निदेशक

सं. 11021/01/2020-एससीडी-IV—राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम संघ (एनएसएफडीसी) के अनुच्छेद 55(2) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्री परवीन कुमार थिंड, आईएएस, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक एनएसएफडीसी के निदेशक मंडल में आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया जाता है।

रहीस एम., निदेशक

सं. 11021/01/2020-एससीडी-IV—राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम संघ (एनएसएफडीसी) के अनुच्छेद 55(2) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्री प्रकाश चंदर, आईएएस एमडी, यूबीयूवीडीवीएन, उत्तराखंड को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक एनएसएफडीसी के निदेशक मंडल में आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया जाता है।

रहीस एम., निदेशक

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 2026

सं. ईआरबी-1/2026/24/06—श्री मनोज कुमार (D.O.B. 04.01.1969), रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी, का कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) में तत्काल समाहन होने के परिणामस्वरूप, उन्होंने 03.06.2026 (पूर्वाह्न) को रेल सेवा से त्याग पत्र दे दिया है।

आर. मोहनराजा, सचिव

दिनांक 15 जून 2026

सं. ई(ओ)III-2026/आरएन/16—श्री दीपू श्याम, भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरी सेवा के अधिकारी (जन्मतिथि: 02.03.1971, डीआईटीएस: 20.09.1999, लिएन: पश्चिम रेलवे) का रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में तत्काल समाहन होने के परिणामस्वरूप, उन्होंने 21.05.2026 (पूर्वाह्न) को रेल सेवा से त्याग पत्र दे दिया है।

आर. मोहनराजा, सचिव

## विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 2026

सं. 14/2026 [फा.सं. 2-2/4(i)/2018-प्रशा.-II(विद्युत मंत्रालय)]—केंद्रीय सचिवालय सेवाओं के चयन ग्रेड (उप सचिव) वर्ष 2025 की चयन सूची (एसजीएसएल) में उनके शामिल होने और डीओपीटी के आदेश संख्या 4/6/2025-सीएस.आई (डी) दिनांक 13.05.2026 के द्वारा विद्युत मंत्रालय में उनके स्थानांतरण के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को दिनांक 15.05.2026 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 में उप सचिव ग्रेड में नियुक्त करते हैं:

| क्र.सं. | नाम             | पदनाम   | सीएसएल सं. | उप-सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------------------------------------|
| i.      | श्री संजय कश्यप | उप सचिव | 8942       | 15.05.2026 (पूर्वाह्न)                          |

2. एसजीएसएल में अधिकारियों को शामिल किया जाना एसएलपी (सी) संख्या 30621/2011 श्री जरनैल सिंह और अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य से संबंधित मामलों से उत्पन्न हुई सिविल अपील संख्या 629/2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अध्याधीन है।

प्रवीण कुमार, अवर सचिव

## आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 2026

सं. के-11019/9/2007-डीडी-VI—मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) की सिफारिश के परिणामस्वरूप दिनांक 31 मार्च, 2026 की संख्या 36/01/2026-ईओ (एसएम-I) एतद्वारा राष्ट्रपति, श्री एन. गुलजार, आईएस (एपी:99) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के सदस्य सचिव के पद पर मौजूदा रिक्त पद के एवज में दिनांक 13.04.2026 (पूर्वाह्न) से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते हैं।

आर.बी. मीना, अवर सचिव

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 7th May 2026

No. LAFEAS-PS50011/1/2026/22-Perl Sec-RSS— In supersession of Notification No. RS/18/15/2014/06-Perl. dated 27<sup>th</sup> January, 2023 and in terms of Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Secretary-General, Rajya Sabha is pleased to reconstitute the 'Internal Committee' w.e.f. 6th May, 2026, comprising the following members—

- |    |                                                  |   |                   |
|----|--------------------------------------------------|---|-------------------|
| 1. | Dr. (Smt.) Subhashree Panigrahi, Joint Secretary | - | Presiding Officer |
| 2. | Shri Jayanta Kumar Mallick, Director             | - | Member-Secretary  |
| 3. | Ms. Chitra Gouri, Director                       | - | Member            |
| 4. | Smt. Anuja Pethia, Advocate                      | - | Member            |

2. The tenure of the committee shall be for a period of one year i.e., up to 5th May, 2027, or until further orders, whichever is earlier.

3. The Committee would be responsible for providing protection against sexual harassment of women in the Rajya Sabha Secretariat and redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto.

4. The Committee will exercise the powers conferred in accordance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, and perform the duties and responsibilities as assigned to it under the said Act or as assigned by the Rajya Sabha Secretariat from time to time. In terms of the said Act and Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013, certain compliances are also required to be observed by the Committee. The mandate and some key responsibilities of the Internal Committee, in line with the provisions of the aforesaid Act and Rules, are annexed to this Notification.

SREEJA V., Director

## ANNEXURE

## Mandate and key responsibilities of the Internal Committee (IC)

- i. Receiving Complaints: The IC is responsible for receiving complaints of sexual harassment from employees. On receipt of the complaint, the Committee shall send one of the copies received from the aggrieved woman to the respondent within a period of seven working days. [Rule 7(2)]
- ii. Conciliation Report: In case of settlement, the IC shall record and forward the report to the employer. Also copies of the report shall be provided to both the parties (Section 10 (2&3)).
- iii. Inquiry Process: Conducting a fair and timely inquiry into the complaints received, which shall be completed within a period of 90 days. [Section 11(4)].
- iv. Recommendations: Submitting findings and recommendations (including interim measures) of the inquiry to the employer for appropriate action. (Section 12).
- v. Submission of Inquiry Report: On completion of the inquiry, the IC shall submit a report of its findings to the employer within a period of ten days from the date of completion of the inquiry. [Section 13(1)]
- vi. Confidentiality: Maintaining strict confidentiality throughout the process. (Section 16 & 17).
- vii. Annual Reports: To prepare Annual Reports in the manner as prescribed under Rule 14 and submit to the employer in each Calendar Year (Section 21).

No. RS.6/(2)/2020/23-Perl—Shri Nagendra Kumar Singh, Additional Secretary (retd.) has been appointed as Secretary in the personal staff of Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha in Level-14 in the Pay Matrix (corresponding to the pre-revised PB-4 of Rs. 37400-67000 + Grade Pay of Rs. 10000) by upgrading and re-designating the post of Joint Director (PSSS) in his personal staff in Level-12 in the Pay Matrix (corresponding to pre-revised PB-3 of Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 7600) and by utilizing matching savings of one vacant tenure post of Senior Private Secretary in Level-11 in the Pay Matrix (corresponding to the pre-revised PB-3 of Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 6600) in his personal staff by keeping it in abeyance, w.e.f. the forenoon of 17<sup>th</sup> April, 2026, on co-terminus basis and until further orders. The aforementioned post of Senior Private Secretary will become operational at the termination of his appointment as Secretary.

2. This upgradation of the scale of pay would be personal to Shri Nagendra Kumar Singh for the period of his appointment as Secretary in the personal staff of Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha, whereupon the upgraded post of Secretary shall be reverted to its original tenure post of Joint Director (PSSS) in his personal staff in Level-12 in the Pay Matrix (corresponding to pre-revised PB-3 of Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 7600).

3. The appointment of Shri Nagendra Kumar Singh is at the discretion of the present Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of his Office.

SREEJA V., Director

---

No. RS.6/(2)/2020/24-Perl—Shri Nirala Kumar Tiwari has been appointed as Senior Private Secretary in the personal staff of Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha in Level-11 in the Pay Matrix (corresponding to the pre-revised PB-3 of Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 6600) w.e.f. the forenoon of 17<sup>th</sup> April, 2026, on co-terminus basis and until further orders.

2. The appointment of Shri Nirala Kumar Tiwari is at the discretion of the present Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of his Office.

SREEJA V., Director

---

No. RS.6/(2)/2020/25-Perl—Shri Prem Narayan Singh has been appointed as Senior Private Secretary in the personal staff of Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha in Level-11 in the Pay Matrix (corresponding to the pre-revised PB-3 of Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 6600) w.e.f. the forenoon of 17<sup>th</sup> April, 2026, on co-terminus basis and until further orders.

2. The appointment of Shri Prem Narayan Singh is at the discretion of the present Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of his Office.

SREEJA V., Director

---

The 11th May 2026

No. RS.6/(2)/2020/26-Perl—Shri Deepak Kumar Ojha has been appointed as Senior Private Secretary in the personal staff of Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha in Level-11 in the Pay Matrix (corresponding to the pre-revised PB-3 of Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 6600) w.e.f. the forenoon of 17th April, 2026, on co-terminus basis and until further orders.

2. The appointment of Shri Deepak Kumar Ojha is at the discretion of the present Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of his Office.

SREEJA V., Director

---

The 27th May 2026

No. LAFEAS-PS16014/2/2025/28-Perl Sec-RSS—The services of Shri Neeraj Kumar, who was appointed as Senior Private Secretary on co-terminus basis in the personal staff of former Chairman, Committee on Petitions (Shri Narain Dass Gupta), shall stand terminated w.e.f. 03.06.2026, after granting him a winding up period of 15 days from the date of re-constitution of the Committee on Petitions of Rajya Sabha, i.e. 20.05.2026.

SREEJA V., Director

---

New Delhi-110001, the 4th June 2026

No. LAFEAS-PS16014/2/2025/33-Perl Sec-RSS—Shri Indugupalli Naga Siva Sankar has been appointed as Senior Private Secretary in Level-11 in the Pay Matrix in the personal staff of Chairman, House Committee (Dr. K. Laxman) w.e.f. the forenoon of 26th May, 2026, on co-terminus basis and until further orders.

2. The appointment of Shri Indugupalli Naga Siva Sankar is at the discretion of the present Chairman, House Committee (Dr. K. Laxman) and will be co-terminus with the term of his Office.

CHITRA GOURI, Director

---

The 8th June 2026

No. LAFEAS-PS16014/2/2025/34-Perl Sec-RSS—Shri Sonu Prasad has been appointed as Senior Private Secretary in Level-11 in the Pay Matrix in the personal staff of Chairperson, Department-related Parliamentary Standing Committee on Science & Technology, Environment, Forests and Climate Change (Dr. Medha Vishram Kulkarni) w.e.f. the forenoon of 2nd June, 2026, on co-terminus basis and until further orders.

2. The appointment of Shri Sonu Prasad is at the discretion of the present Chairperson, Department-related Parliamentary Standing Committee on Science & Technology, Environment, Forests and Climate Change (Dr. Medha Vishram Kulkarni) and will be co-terminus with the term of her Office.

CHITRA GOURI, Director

---

New Delhi-110001, the 22nd May 2026

No. LAFEAS-PS25011(11)/1/2026/27-Perl Sec-RSS—In terms of Section 5 (2) of the Right to Information Act, 2005, the Competent Authority has appointed Shri Pritam Kumar, Deputy Secretary in the Rajya Sabha Secretariat as Central Assistant Public Information Officer in that Secretariat w.e.f. 14.05.2026 and until further orders.

2. Notification No. LAFEAS-PS25011(12)/1/2024/2-Perl Sec-RSS dated 3<sup>rd</sup> January, 2025 stands superseded.

OINDRILA ROY, Deputy Secretary

---

New Delhi-110001, the 1st June 2026

No. LAFEAS-PS30/1/2026/29-Perl.Sec-RSS—On attaining the age of superannuation, Shri Dharam Bir Sharma, Additional Director (Security) (Emp. ID: 1797), retired from service with effect from the afternoon of 31<sup>st</sup> May, 2026.

RAVINDER KUMAR, Deputy Secretary

---

No. LAFEAS-PS30/1/2026/30-Perl.Sec-RSS—On attaining the age of superannuation, Shri Shaji Augustin, Additional Director (Security) (Emp. ID: 1798), retired from service with effect from the afternoon of 31<sup>st</sup> May, 2026.

RAVINDER KUMAR, Deputy Secretary

---

No. LAFEAS-PS30/1/2026/31-Perl.Sec-RSS—On attaining the age of superannuation, Smt. Sreeja Vatakkathillath, Director (Emp. ID: 2022), retired from service with effect from the afternoon of 31<sup>st</sup> May, 2026.

RAVINDER KUMAR, Deputy Secretary

---

No. LAFEAS-PS30/1/2026/32-Perl.Sec-RSS—On attaining the age of superannuation, Shri Basudeb Chakraborty, Deputy Secretary (Emp. ID: 2118), retired from service with effect from the afternoon of 31<sup>st</sup> May, 2026.

RAVINDER KUMAR, Deputy Secretary

---

CABINET SECRETARIAT

(SEVA TEERTH)

New Delhi, the 2nd June 2026

No. A-43014/02/2022-Ad-I—Consequent upon his inclusion in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List (SGSL) of Central Secretariat Service for the year 2025 vide DoPT's Order No. 4/6/2025-CS.I(D) dated 01.06.2026, Sh. Saumitra Sahar (CSL No. 8624) of this Secretariat is appointed to the grade of Deputy Secretary on regular basis with effect from 01.06.2026 (FN).

2. The inclusion of officer in SGSL 2025 will remain subject to further orders of Hon'ble Supreme Court of India in the Civil Appeal No. 629 of 2022 arising out of SLP(C) No. 30621/ 2011 titled Shri Jarnail Singh & Ors. V. Lachhmi Narain Gupta & Ors. and other connected matters.

JITENDRA KUMAR JANGID, Under Secretary

---

The 4th June 2026

No. A-19012/01/2026-Ad-I—The President is pleased to appoint Ms. Deepa Chawla, IRAS (1998), as Joint Secretary, O/o Secretary (Security) under the Cabinet Secretariat from 01.06.2026(FN), for an overall tenure of five years upto 28.12.2028, or until further orders, whichever is earlier, in pursuance of DoP&T's communication No. 33/08/2026-EO (SM-I) dated 08.05.2026.

JITENDRA KUMAR JANGID, Under Secretary

---

The 5th June 2026

No. A-19011/02/2026-Ad-I—The President is pleased to appoint Shri Rajiv Singh, IPS (TR: 1993) as Secretary (Security) in the Cabinet Secretariat with effect from the forenoon of 05.06.2026 in pursuance of DoPT's Communication No. 36/01/2026-EO(SM-I) dated 21.05.2026.

JITENDRA KUMAR JANGID, Under Secretary

---

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 10th June 2026

No. A-12025/2/2025-Administration I—On the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Assistant Legislative Counsels (Grade IV of Indian Legal Service) to the post of Deputy Legislative Counsel (Grade III of the Indian Legal Service) in Level 12 of the pay matrix (Rs. 78800 - 209200) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice on regular basis with effect from the afternoon of 04th June, 2026 and until further orders: -

- i. Shri Sanjay Kumar Gautam
- ii. Shri Atul Kumar Singh
- iii. Shri Sanjay Kumar Meena
- iv. Shri Deepak Bagsing
- v. Shri Gangesh Kumar

2. The above officers will be on probation for a period of two years with effect from the date of their appointment to the post of Deputy Legislative Counsel (Grade III of ILS) in this Department.

T.S. MURALIDHARAN, Joint Secretary & Legislative Counsel

---

DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110 011, the 1st January 2026

No. K. 13028/06/2025-US. I/I—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Sangam Kumar Sahoo, Judge of the Orissa High Court as Chief Justice of the Patna High Court with effect from the date he assume charge of his office.

JAGANNATH SRINIVASAN, Joint Secretary

---

No. K. 13034/04/2025-US. I/I —In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Smt. Justice Revati Prashant Mohite Dere, Judge of the Bombay High Court, to be Chief Justice of the Meghalaya High Court with effect from the date she assumes charge of her office consequent upon transfer of incumbent Chief Justice.

JAGANNATH SRINIVASAN, Joint Secretary

---

The 2nd January 2026

No. K-13022/03/2025-US.I/II—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Mahesh Sharadchandra Sonak, Judge of the Bombay High Court, to be the Chief Justice of the Jharkhand High Court with effect from the date he assumes charge of his office Consequent upon retirement of incumbent Chief Justice on 08.01.2026.

JAGANNATH SRINIVASAN, Joint Secretary

No. K-13029/03/2025-US.I—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Ramesh Chander Dimri and (ii) Ms. Neerja Kulwant Kalson, to be Additional Judges of the Punjab and Haryana High Court for a period of two years with from the date they assume charge of their respective offices.

JAGANNATH SRINIVASAN, Joint Secretary

\_\_\_\_\_  
The 3rd January 2026

No. K-13031/01/2025-US. I/II—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Muhamed Mustaque Ayumantakath, Judge, Kerala High Court, to be Chief Justice of the Sikkim High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

JAGANNATH SRINIVASAN, Joint Secretary

\_\_\_\_\_  
The 5th January 2026

No. K-13012/01/2025-US. I—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Jai Krishna Upadhyay, to be a Judge of the Allahabad High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

JAGANNATH SRINIVASAN, Joint Secretary

No. K-13028/02/2024-US. II—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri (i) Ritesh Kumar and (ii) Praveen Kumar, to be Judges of the Patna High Court with effect from the date they assume charge of their respective offices.

JAGANNATH SRINIVASAN, Joint Secretary

No. K. 13032/01/2023-US. II—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Siddhartha Sah, to be an Additional Judge of the High Court of Uttarakhand for a Period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

JAGANNATH SRINIVASAN, Joint Secretary

\_\_\_\_\_  
The 8th January 2026

No. K. 13032/01/2025-US.I/II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Gupta, Judge, Allahabad High Court, to be the Chief Justice of the Uttarakhand High Court with effect from the date he assume charge of his office, consequent upon the superannuation of Shri Justice Guhanathan Narendar, present Chief Justice of the Uttarakhand High Court on 09.01.2026.

JAGANNATH SRINIVASAN, Joint Secretary

\_\_\_\_\_  
The 14th January 2026

No. K. 13015/01/2026-US.I/II—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Sujoy Paul, Judge, Calcutta High Court, to be the Chief Justice of the Calcutta High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

JAGANNATH SRINIVASAN, Joint Secretary

---

The 10th February 2026

No. K. 13013/02/2025-US. I—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Balaji Medamalli @ M. Balaji, to be an Additional Judge of the Andhra Pradesh High Court for a Period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

JAGANNATH SRINIVASAN, Joint Secretary

---

The 2nd March 2026

No. K. 13024/03/2025-US.II—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri (i) Mullappally Abdul Aziz Abdul Hakhim, (ii) Syam Kumar Vadakke Mudavakkat, (iii) Harisankar Vijayan Menon, (vi) Manu Sreedharan Nair, (v) Easwaran Subramani, (vi) Manoj Pulamby Madhavan and (vii) Smt. Marakkaparambil Bhargavan Snehalatha, Additional Judges of the Kerala High Court, to be Judges of that High Court with effect from the date they assume charge of their respective offices.

JAGANNATH SRINIVASAN, Joint Secretary

---

The 5th March 2026

No. K. 13026/02/2026-US. II—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Sushrut Arvind Dharmadhikari, Judge of the High Court of Kerala, to be the Chief Justice of the High Court of Madras with effect from the date he assumes charge of his office.

JAGANNATH SRINIVASAN, Joint Secretary

---

The 6th March 2026

No. K. 11017/01/2026-US. I/II—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Ms. Justice Lisa Gill, Judge, High Court of Punjab and Haryana, to be a Judge of High Court of Andhra Pradesh and to direct her to assume charge of her office in the High Court of Andhra Pradesh.

JAGANNATH SRINIVASAN, Joint Secretary

---

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi-110003, the 15th June 2026

No. 23012/01/2024-AIS-III—Smt. Pooja Yadav, IAS (UP: 2019) has been permitted to change her name from “Pooja Yadav” to “Pooja Agarwal”. She will accordingly be recognised as “Pooja Agarwal” for all official purposes.

KAVITA CHAUHAN, Under Secretary

---

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY  
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 9th June 2026

No. K-43022/124/2026-SEZ(ADMIN.)—The President is pleased to appoint Shri Gopal Meena, Indian Administrative Service (BH:2007), as Development Commissioner, (JS Level) Noida Special Economic Zone, Noida under the Department of Commerce, in Pay Level-14 of the Pay Matrix (Rs.1,44,200-2,18,200), on deputation basis for a period of 05 (five) years w.e.f. 25.05.2026 (forenoon) or until further order, whichever is earlier.

PRATEEK BAJPAI, Under Secretary

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi, the 21st April 2026

No. SM/01/06/2020—The President is pleased to appoint the following officers as Manager, Map Reproduction (Junior) (Group 'A') in Level-10 of Pay Matrix in Survey of India with effect from the date mentioned against their names and until further orders:

| Sl. No. | Name of the officer | Date of Appointment |
|---------|---------------------|---------------------|
| 1.      | Shri Vivek Gupta    | 02-01-2026 (A/N)    |
| 2.      | Shri D. Ramesh      | 01-01-2026 (F/N)    |

PREETI ARORA, Under Secretary

New Delhi-110016, the 27th April 2026

No. A-38013/01/2025-Estt.I (E-52467)—The President is pleased to retire the following officer in the Department of Science and Technology from Government service on attaining the age of superannuation with effect from 30th April 2026 (AN):

| S. No. | Name of the officers              | Cadre                             | Designation     |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1.     | Shri N.E.V.N. Chandra Sekhara Rao | Central Secretariat Service (CSS) | Section Officer |

NIWESH KUMAR, Under Secretary

The 18th May 2026

No. A-12011/03/2025-Estt. I [E-52438]—Consequent upon his appointment as Fulltime Member, NITI Aayog vide Cabinet Secretariat's Notification No. 511/1/1/2024- Cab. dated 24.04.2026, Prof. Abhay Karandikar (Indian Institute of Technology – Bombay), Secretary, Department of Science and Technology is hereby relieved from the Department of Science and Technology with effective from 18th May 2026 (FN).

NIWESH KUMAR, Under Secretary

The 19th May 2026

No. A-12011/03/2025-Estt. I [E-52438]—In pursuance of the Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet's Communication No. 36/01/2026-EO(SM-I) dated 15.05.2026, Dr. Rajesh S. Gokhale, Secretary, Department of Biotechnology has taken over the additional charge of the post of Secretary, Department of Science and Technology w.e.f. 18.05.2026 (F/N).

2. He has been assigned the additional charge of the post of Secretary, Department of Science and Technology till the appointment of a regular incumbent or until further orders, whichever is earlier.

NIWESH KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE)

New Delhi, the 4th June 2026

No. A-19012/6/2026-E&S(Estt.)—The President is pleased to appoint Prof. A. Ganesh Kumar, Member (Part-time), National Statistical Commission, Government of India and Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai to the post of Chairman, Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) in Level-17 of the pay matrix, on deputation basis, w.e.f. forenoon of 18th May, 2026 for a period of three years from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever is earlier, in relaxation of age criteria in RRs.

AJIT KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING  
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING)

New Delhi-110001, the 8th June 2026

No. C.12034/3/2020-Estt. (Hqrs.)/(E-16457)—The President is pleased to grant promotion under the Dynamic Assured Career Progression (DACP) Scheme to the following Veterinarians of the Department of Animal Husbandry and Dairying in the grades/ levels indicated against each, with effect from the dates specified below: —

| S. No. | Name of the Officer (Dr.) | Grade/Level to which promoted under ACP | Date of Promotion |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1.     | Arun Prasad               | Deputy Commissioner                     | 14.07.2008        |
|        |                           | Joint Commissioner                      | 14.07.2012        |
| 2.     | Venkatesan G.             | Deputy Commissioner                     | 20.03.2026        |
| 3.     | Adhiraj Mishra            | Deputy Commissioner                     | 12.04.2026        |
| 4.     | Sushil Kumar Singh        | Assistant Commissioner                  | 05.04.2026        |
| 5.     | Astha Pant                | Assistant Commissioner                  | 29.04.2026        |

PANKAJ KUMAR SINHA, Under Secretary

## MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi, the 9th June 2026

No. 11021/01/2020-SCD-IV—In Pursuance of Article 55(2) of Article of Association of National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC), the President is pleased to appoint Sh. Vishal Sharma, DGM, NABARD as official Director on the Board of Director of NSFDC, with immediate effect and until further orders.

RAHEES M., Director

No. 11021/01/2020-SCD-IV—In Pursuance of Article 55(2) of Article of Association of National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC), the President is pleased to appoint Sh. K. S. Kandasamy, IAS, MD, TAHDCO, Tamil Nadu as official Director on the Board of Director of NSFDC, with immediate effect and until further orders.

RAHEES M., Director

No. 11021/01/2020-SCD-IV—In Pursuance of Article 55(2) of Article of Association of National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC), the President is pleased to appoint Sh. M.M. Nayak, IAS, MD, APSCCFC, Andhra Pradesh as official Director on the Board of Director of NSFDC, with immediate effect and until further orders.

RAHEES M., Director

No. 11021/01/2020-SCD-IV—In Pursuance of Article 55(2) of Article of Association of National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC), the President is pleased to appoint Sh. Parveen Kumar Thind, IAS, Joint Secretary, Department of Social Justice and Empowerment as official Director on the Board of Director of NSFDC, with immediate effect and until further orders.

RAHEES M., Director

No. 11021/01/2020-SCD-IV—In Pursuance of Article 55(2) of Article of Association of National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC), the President is pleased to appoint Sh. Prakash Chander, IAS, MD, UBUEVN, Uttarakhand as official Director on the Board of Director of NSFDC, with immediate effect and until further orders.

RAHEES M., Director

MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 11th June 2026

No. ERB-I/2026/24/06—Consequent upon his immediate absorption in Konkan Railway Corporation Ltd. (KRCL), Shri Manoj Kumar (D.O.B. 04.01.1969), Senior Administrative Grade officer of Railway Board Secretariat Service, has resigned from Railway Service w.e.f. 03.06.2026 (F.N.).

R. MOHANRAJA, Secretary

The 15th June 2026

No. E(O)III-2026/RN/16—Consequent upon his immediate absorption in RailTel Corporation of India Limited (RCIL), Shri Dipu Shyam, an Officer of the Indian Railway Service of Signal Engineers (DOB: 02.03.1971, DITS: 20.09.1999, LIEN: Western Railway) has resigned from Railway Service with effect from 21.05.2026(F/N).

R. MOHANRAJA, Secretary

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 20th May 2026

No. 14/2026 [F.No. 2-2/4(i)/2018-ADMN-II(MoP)]—Consequent upon his inclusion in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List (SGSL) of Central Secretariat Services for the year 2025 and upon his transfer to Ministry of Power vide DoPT's Order No. 4/6/2025-CS.I (D) dated 13.05.2026, the President is pleased to appoint the following Officer to Deputy Secretary Grade in Level-12 of Pay Matrix on regular basis with effect from the forenoon of 15.05.2026:

| Sl. No. | Name               | Designation      | CSL No. | Assumption of charge to the post of DS w.e.f. |
|---------|--------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------|
| i.      | Sh. Sanjay Kashyap | Deputy Secretary | 8942    | 15.05.2026 (FN)                               |

2. The inclusion of officers in SGSL will remain subject to further orders of the Hon'ble Supreme Court of India in the Civil Appeal No. 629 of 2022 arising out of SLP(C) No. 30621/2011 titled Shri Jarnail Singh & Ors. V. Lachhmi Narain Gupta & Ors. and other connected matters.

PRAVEEN KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

New Delhi, the 18 June 2026

No. K-11019/9/2007-DDVI—Consequent upon recommendation of Appointments Committee of the Cabinet (ACC) vide No.36/01/2026-EO(SM-I) dated 31<sup>st</sup> March, 2026 the President is pleased to appoint Shri N. Gulzar, IAS (AP:99), as Member Secretary, National Capital Region Planning Board (NCRPB), Ministry of Housing and Urban Affairs, New Delhi on deputation w.e.f. 13.04.2026(F.N.) against existing vacancy.

R.B. MEENA, Under Secretary